प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

..ं. 01800/2019-2020

दिनांक 01/01/2020

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
...R/ALI/02882/2019-2020 पत्रावली संख्या:AG-38095 दिनांक:2004-2005

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **गायत्री लोक कल्याण संस्थान, ग्राम पोस्ट चण्डौस तह० गभाना जिला-अलीगढ़, अलीगढ़, 202132** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 2399/2004-2005 दिनांक-31/12/2004 को दिनांक-31/12/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है | 1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(VINOD KUMAR SINGH)
8B206BBF34BACCF353DD390B1DA6EE14359A91F4
Date: 01/01/2020 12:51:19 PM, Location: Agra.

जारी करने का दिनांक-01/01/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश |

संख्या 6288 / 8/1/15

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीकरण संख्या 1986 20 14–15

फाइल संख्या AG- 38095

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि गायत्री लोक कल्याण संस्थान, ग्राम पोस्ट- चण्डौस तह0 गभाना जिला- अलीगढ़ ।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 2399 / 2004–05

दिनांक 31.12.2004 को दिनांक 31–12–2014 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

Rs- 1000 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रुप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 07-01-20 15

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

पी॰एस॰यू॰पी॰–ए॰पी॰ 6 फार्म निबन्धक–01.02.2009–(419)–2,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 71AD 518073

यह जनरल स्टाम्प पेपर गायत्री लोक कल्याण संस्थान /

जिला अलीगढ़ फाइल नं. फा० 38095

के द्वारा [illegible] है।

फा० प्रमाणपत्र

[illegible]

कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

आगरा क्षेत्र, आगरा

07-3-19

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

71AD 518074

यह स्टाम्प पेपर गायत्री लोक कल्याण संस्थान /

जिला अलीगढ़ फाइल नं० 38095 के साथ संलग्न है।

पंजी० सूची 2017-18

सत्यमेव जयते

कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

आगरा क्षेत्र, आगरा

07/3/19

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 71AD 518075

यह अनकल स्टाम्प पेपर गायत्री लोक कल्याण संस्थान /

जिला अलीगढ़ फाइल नं० [illegible] 38095 के साथ संलग्न है।

सचिवालय [illegible]

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा

6/7/19.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   71AD 518085

यह जनरल स्टाम्प पेपर गायत्री लोक कल्याण संस्थान /

जिला अलीगढ़ फाइल नं० 38095

के साथ संलग्न है।

निधनवली

सत्यमेव जयते

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
07319

संख्या 823
30/04/10

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र

नवीकरण संख्या 178 2010-11

फाइल संख्या Ag-38095

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि गायत्री लोक कल्याण संस्थान ग्राम-पोस्ट-चण्डौस तहसील-गभाना जिला-अलीगढ़ को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 2991/2004-05 दिनांक 31-12-2004 को दिनांक 31-12-2009 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रुप से प्राप्त हो गयी है।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
01-03-19

दिनांक 20-4- 2010

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

(9)

संख्या 5772 पत्रावली सं०-1 AG-38095 दिनांक 3-12-04

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 2399 20 04 — 20 05

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि गायत्री लोक कल्याण

संस्थान ग्राम पोस्ट चण्डौस तहसील गभाना जिला-अलीगढ़

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 30-12-2009 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 31 दिसम्बर दो हजार चार को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा

श्री योगेश चन्द्र शर्मा
प्रबन्धक/सचिव

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

3-319

नियमावली

1.संस्थ का नाम - गायत्री लोक कल्याण संस्थान

2.संस्था का पता - ग्राम-पोस्ट चण्डौस तहसील गभाना जिला अलीगढ

3.संस्था का कार्यक्षेत्र - समस्त उत्तर प्रदेश होगा ।

4.संस्था का उद्देश्य - संलग्न स्मृति पत्र के अंकितानुसार होंगे -

5.संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

1.संरक्षक सदस्य - जो सज्जन इस संस्था को 1001/- रूपये या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा

2. आजीवन सदस्य - जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 501/- रूपया सदस्यता शुल्क के रूप मे देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

3.साधारण सदस्य - जो सज्जन इस संस्था को प्रति वर्ष 251/-रूपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा

4.विशिष्ट सदस्य - ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एंव संस्था का तन,मन,धन से सहयोग करने के लिऐ तत्पर रहते हो व जो विद्वान होंगें सरकार द्वारा सम्मानित एंव उपाधि प्राप्त सदस्यो जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एंव चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा ।परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यो की संख्या 5 से अधिक न होगी ।

6. सदस्यता की समाप्ति -

1. मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर ।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने परं ।
3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।
4. किसी सदस्य के विरूद्व 2/3 बहुमत से अधिक मतों से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर ।
5. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।
6. न्यायालय द्वारा दंण्डित होने पर ।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

7. संस्था के अंग - 1. साधारण सभा 2. प्रबन्धकारिणी समिति ।

8. साधारण सभा - गठन -

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यो को मिलाकर किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या. उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

2 पर

बैठक –
साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी

सूचना अवधि –
साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यो को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी ।

गणपूर्ति – गणपूर्ति के लिऐ कुल सदस्यो की संख्या के 2/3 बहुमत सदस्यो की उपस्थिति का कोरम होगा ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय कर ली जावेगी ।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य –

1. प्रबन्धकारिणी समिति का समय समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना ।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति -

गठन – प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के आम सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यो को चुनकर किया जायेगा जिसमे एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव, उपप्रबन्धक/उपसचिव एक कोषाध्यक्ष तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगें सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई – बढाई जा सकती है, जो कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होगी।

बैठक – प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी ।

सूचना अवधि – प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिनपूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी ।

गणपूर्ति – गणपूर्ति के लिऐ कुल सदस्यो की संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यो की उपस्थिति का कोरम होगा ।

रिक्त स्थान की पूर्ति – प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिऐ कर ली जावेगी

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :-

1. संस्था के उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना ।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कराना।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एंव राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों, एंव अन्य संस्थानों,प्रतिष्ठानों,निकायों,नागरिकों आदि से दान, अनुदान,चंदा,एवं बैंक आदि से ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा
67319

प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एंव चैरिटेबिल कार्यो की पूर्ति हेतु व्यय करना ।

ल. कार्यकाल – प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा ।

10. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य –

1. अध्यक्ष –

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।
2. मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।

2. उपाध्यक्ष –

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप से सोंपे गये स्वीकृत कार्यो को करना , सामान्य व विषम परिस्थतियों मे उनका सहयोग करना ।

3.प्रबन्धक / सचिव –

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मींटिग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना मींटिग कार्यवाही लिखना ।
2. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व कार्यक्रमों का पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से संचालन व प्रचार–प्रसार करना ।
3. संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।
4. संस्था की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना दान, अनुदान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सम्पत्ति व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना । प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना ।
5. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।
6. संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों, चिकित्सालयों, विद्यालयों में कार्यरतकर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, एवं पदच्युत करना तथा उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।

4.उपप्रबन्धक / उपसचिव :–

संस्था के प्रबन्धक / सचिव की उपस्थिति में उनके कार्यो में सहयेाग प्रदान करना तथा अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप में सोंपे गये कार्यो को करना ।

5. कोषाध्यक्ष –

1. संस्था के आय व्यय विवरण को रखना ।
2. संस्था के प्रबन्धक / सचिव द्वारा सोंपे गये कार्यो को करना ।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

4319

....4

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रकिया – संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष एंव लेखा व्यवस्था – संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकत बैंक अथवा डाकघर में जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

13. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट)– संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टर्ड एकाउण्टैंट द्वारा किया जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व –संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक/सचिव अथवा उसकें द्वारा अधिकत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

15. संस्था के अभिलेख – 1– सदस्यता रजिस्टर 2– कार्यवाही रजिस्टर 3– एजैण्डा रजिस्टर 4– स्टाक रजिस्टर 5– कैश बुक आदि ।

16. संस्था के विघटन – यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा0रजि0अधि0 की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जावेगी ।

दिनांक– २०-६-१४ सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा

3319

JSharma
Rikesh Kr
भरतवीर
राजेन्द्र प्रसाद

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम - गायत्री लोक कल्याण संस्थान
2. संस्था का पता - ग्राम-पोस्ट चण्डौस तहसील गभाना जिला अलीगढ
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा ।
4. संस्था के उद्देश्य - संस्था के उद्देश्य निम्न प्रकार होंगे-

1. गांधीवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना तथा निर्धन,अनाथ,असहाय लोगों एंव वृद्धजनों के कल्याण हेतु उन्हें आत्म निर्भर बनाने हेतु सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलाना व सुलभ ग्रामोद्योगी एंव तकनीकी प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें स्वावलम्बी एंव आत्म निर्भर नागरिक बनाना तथा उनके आश्रय स्थल की स्थापना करना एंव निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु साक्षरता कार्यक्रम चलाना ।
2. शिक्षा विकास हेतु प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल, कालेज की स्थापना करना तथा निःशुल्क दूरस्थ शिक्षा,तकनीकी एंव ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षासंस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक–युवतियों को स्वावलम्बी एंव आत्म निर्भर बनाना ।
3. संस्था का उद्देश्य कुष्ठ अपाहिज मूक बधिर एंव विकलांगों के कल्याण हेतु कार्य करना एंव पिछडे क्षेत्रों एंव ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य रक्षा हेतु शिविरों,कैम्प,गोष्ठियों का आयोजन कर लोगों को साफ–सफाई से रहने शुद्ध खान–पान के बारे में बताना जिससे कि नागरिक शारीरिक एंव मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके ।
4. संस्था का उद्देश्य नागरिकों के सर्वागीण विकास हेतु शहरी एंव ग्राम्य क्षेत्र के पिछडे क्षेत्रों एंव मलिन बस्तियों में स्वच्छता,साक्षरता,परिवार नियोजन शिशु पोषण महिला एंव बाल विकास कार्यक्रम बाल टीकाकरण कार्यक्रमों,गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्यक्रम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एंव समय–समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।
5. संस्था का उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु व क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु समय–समय पर वानिकी (वृक्षारोपण) कार्यक्रमों को चलाना ।
6. संस्था का उद्देश्य समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों एंव जागरूकता शिविरों निःशुल्क स्वास्थ्य रक्षा शिविरों,नेत्र रक्षा कैम्पों,गोष्ठियों राहत शिविरों,जनजागृति शिविरों कलाप्रदर्शनी का आयोजन आदि को लगाकर लोगो की सेवा करना ।
7. देश–विदेश एंव प्रदेश की समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एंव उनका सहयोग करना एंव ऐसी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना। समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना ।
8. संस्था का उद्देश्य निराश्रित महिलाओं एंव अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु समय–समय पर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, ऑगनवाडी, वालवाडी, नारी निकेतन,प्रौढ शिक्षा केन्द्रों,अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व बाल श्रमिक बच्चों के उत्थान हेतु बाल श्रमिक विद्यालय की स्थापना कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना ।
9. केन्द्रीय एंव राज्य सरकार,निगम बोर्ड,सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग सेयुवक–युवतियों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे सिलाई,कढाई, बुनाई,कताई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी,दरी,कालीन,

सत्य प्रतिलिपि

मनोज

ड्राईंग,पेन्टिंग कला,प्रशिक्षण,तथा टंकण, आशुलिपि, एंव कम्प्यूटर प्रशिक्षण,फैशन डिजायनिंग, टैक्सटाइल,डिजायनिंग, ब्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्म निर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना ।

10. नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एंव विज्ञापन,पोस्टर,बैनर आदि के माध्यम से एड्स कैंसर,हैपिटाइटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाय सुझाना एंव इन पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना एंव मद्य निषेध कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर चलाना ।

11. शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एंव राज्य सरकार,निगम तथा बोर्ड आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागों एंव मंत्रालयों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनायें जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपम्प,टंकी लगवाना क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोडने हेतु सडक खडंजा तथा मलिन बस्तियों का सुधार,सफाई व शौचालयों,सामुदायिक केन्द्रों आश्रय स्थल की स्थापना/निर्माण कराना तथा लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास करना ।

12. पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिऐ प्रेरित करना एंव जगह–जगह वृक्षारोपण करानरा एंव पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बढते प्रदूषण को कम करने का हर संभव प्रयास करना

13. संस्था का उद्‌देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गीपालन,मत्स्य पालन,सुअर पालन आदि को बढावा देना तथा फ्लोरीकल्चर एंव अन्य उन्नत कृषि को बढावा देना एंव कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा मशरूम की खेती व प्लान्टेश्यान कार्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित करगाँवों का सर्वांगीण विकास करना ।

14. समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अन्धे,कुष्ठ रोगी व मूक बधिरों विकलांगों व निराश्रित लाचार वृद्धजनों के कल्याण के लिऐ कार्य करना बाल आश्रम,अनाथालय, एंव वृद्धाश्रम की स्थापना करना ।

15. विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं द्वारा जनता को जागरूक करना एंव बेरोजगार युवक–युवतियों, विधवा अनाथ परित्यक्ता महिलाओं,एंव वृद्धजनों व अनाथ बच्चों को सुलभ तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी एंव आत्म निर्भर नागरिक बनाना ।

16. शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्रों की खाली ऊसर बंजर,मरूस्थलीय भूमि पर सघर वृक्षारोपण का कार्य कर बनीकरण को बढावा देना एंव भूक्षरण को रोकने एंव भूमिगत जल स्तर में वृद्धि व नमीसंरक्षण के उपाय करने का प्रयास करना ।

17. वन्य जीवों की रक्षा व वन्य सम्पदा को सुरक्षित बनाये रखने में सहयोग करना व वन्य प्राणियों व चिडियों की रक्षा व उनके संरक्षण वन्य जीव शोध एंव विकास और प्रकृति के संरक्षण कार्यो में सहयोग देना एंव सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं को सफल बनाने का प्रयास करना ।

18. निर्धन एंव अनाथ लोगों व पिछडे क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एंव राज्यसरकार के सम्ब–न्धित विभागों मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसेफ,हडको,महिला एंव बाल विकास विभाग,कपार्ट,काई,सिप्सा, नावार्ड,आवार्ड, नौराड, डूडा, सूडा,सिडवी, राष्ट्रीय,महिला कोष,बाल विकास पुष्टाहार,महिला कल्याण एंव बाल कल्याण निधि महिला कल्याण निगम,राष्ट्रीय बाल भवन वस्त्र शिल्प हस्त मंत्रालय,पर्यावरण मंत्रालय,मत्स्य विभाग,समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,श्रममंत्रालय,राजीव गॉधी फाउन्डेशन,विश्व स्वास्थ्य संगठन,विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर

सत्य प्रतिलिपि

Y.K.Sharma

6/3/19

गायत्री लोक कल्याण संस्था, ग्राम व पो0 चण्डौस तह0 गभाना जिला–अलीगढ़ की प्रबन्धसमिति की सूची वर्ष–2017–2018

क्रम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्रश्री हरिश्चन्द्र शर्मा	सी–34 सेक्टर–56 नोयडा गौतमबुद्धनगर	अध्यक्ष	व्यापार
2– सीमा शर्मा पुत्रीश्री विशम्भर दयाल	ग्राम व पो0 चण्डौस जिला–अलीगढ	उपाध्यक्ष	गृहकार्य
3–श्री गणेश दत्त शर्मा पुत्रश्री चन्द्र शेखर शर्मा	ग्राम व पो0 चण्डौस जिला–अलीगढ	प्रबन्धक / सचिव	कृषि
4–श्रीमती यशोदा शर्मा पत्नीश्री विशन स्वरूप शर्मा	ग्राम कैलावन पो0 शिकारपुर बुलन्दशहर	उपप्रबन्धक / उपसचिव	गृहकार्य
5–श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्रश्री सत्यवीर शर्मा	ग्राम चीती पो0 महगौरा तह0खैर अलीगढ	कोषाध्यक्ष	कृषि
6–श्री रेशमपाल सिंह पुत्रश्री मवासीराम	ग्राम व पो0 चीमनपुर तह0 गभाना अलीगढ	सदस्य	व्यापार
7–श्री मानवेन्द्र सिंह पुत्रश्री एम0सी0 चौहान	ग्राम व पो0 चण्डौस जिला–अलीगढ	सदस्य	व्यापार
8–श्री सुधीर कुमार शर्मा पुत्रश्री श्रीराम शर्मा	ग्राम थानपुर खानपुर पो0 बिसारा अलीगढ़	सदस्य	अध्यापन
9–श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्रश्री महावीर प्रसाद	473 किला रोड, गली नं0–11नई शिवपुरी खुर्जा, बुलन्दशहर	सदस्य	कृषक
10–श्री राजेश चौहान पुत्रश्री नरेन्द्र सिंह चौहान	ग्राम व पो0 चण्डौस जिला–अलीगढ	सदस्य	चिकित्सक
11–श्री धनंजय सिंह पुत्रश्री सहदेव सिंह	276 थानपुर खानपुर पो0 बिसारा अलीगढ	सदस्य	कृषि
12–श्री अशोक कुमार पुत्रश्री कालीचरन	ग्राम व पो0 सहरोई तह0 खैर अलीगढ	सदस्य	शिक्षक

YSharma

सत्य प्रतिलिपि

यशोदा

दिनेश कुमार